कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दतिया (म.प्र.)

क्रमांक/आपदा/रतनगढ़ मेला/2019 3979 20-8-19 दतिया, दिनांक : 20-08-2019

प्रति,

1- मुख्य प्रबंधक
रिलायस जियो टेलीकॉम कंपनी
4th फ्लोर धन त्रिदेंत, स्कीम नं. 54
विजय नगर चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)

2- मुख्य प्रबंधक
रिलायस जियो टेलीकॉम कंपनी
3rd फ्लोर, द एम्पायर
इन्कम टैक्स ऑफिस के पास, ग्वालियर

3- प्रबंधक
रिलायस जियो टेलीकॉम कंपनी
करन सागर रोड, जिला दतिया (म.प्र.)

विषय :- माता मंदिर रतनगढ पर आयोजित दिपावली दौज मेले में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीव्ही कैमरों हेतु लिंक प्रदान करने सहित जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम को डेडिकेटेड वाईफाई जोन बनाने बावत् ।

विषयान्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर सेंवढा जिला दतिया में दीपावली दौज के अवसर पर परंपरागत रूप से आयोजित मेले में 20-25 लाख श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन होता है । मेला आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है ।

विगत वर्षों में हुई दो बडी घटनाओं (पहली घटना वर्ष 2006 में 47 श्रद्धालुओं की एवं दूसरी घटना वर्ष 2013 में 113 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी) को दृष्टिगत रखते हुऐ आपदा प्रबंधन अधिनियम की कंडिका 30(1) एवं 31 **DDMP रतनगढ कार्ययोजना** बनाई गई है, जो **दतिया जिले की बेवासाइट (www.datia.nic.in)** पर अपलोड की जाकर आपके कार्यालय में उपलब्ध की गई है । धारा 25(4) के तहत अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दतिया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है । धारा 25(4) के तहत आप भी सदस्य हैं, जिस कारण उपरोक्त मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है । मेला परिसर में सीसीटीव्ही कैमरे पूर्व से स्थापित हैं माता रतनगढ मंदिर वनक्षेत्र में होने के कारण सीसीटीव्ही कैमरों को जिन तारों (वायर्स) के साथ जोडा जाता है उन्हें वन्य जीव या बन्दरों आदि के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया जाता है जिससे इन कैमरों की कनेक्टिविटी में समस्या आती है ।

अतः आप मेला परिसर का भ्रमण कर शीघ्र ही सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सीसीटीव्ही कैमरों हेतु निःशुल्क लिंक प्रदान करने सहित जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम को डेडिकेटेड वाईफाई जोन बनाने का कष्ट करें ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दतिया (म.प्र.)

पृष्ठां क्रमांक/क्यू/आपदा/रतनगढ़/2019/ 3971
20-8-19

दतिया, दिनांक: 20.08.2019

प्रतिलिपि -:

1- प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, म.प्र. शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2- प्रमुख सचिव गृह, म.प्र. शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3- आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4- पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर, संभाग ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
5- कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- पुलिस अधीक्षक जिला दतिया/ग्वालियर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7- वनमंडलाधिकारी जिला दतिया/ग्वालियर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9- अपर कलेक्टर जिला दतिया/ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंवढ़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सेंवढ़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12- तहसीलदार दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर/इंदरगढ़/बड़ौनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13- समस्त टी.एल. अधिकारी दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14- जिला जनसंपर्क अधिकारी दतिया की ओर प्रकाशनार्थ।
15- एन.आई.सी. शाखा दतिया की ओर भेजकर लेख है कि समस्त टी.एल. अधिकारियों को ई-मेल भेजकर अवगत करावें एवं एन.आई.सी. दतिया पर अपलोड करें ।
16- धर्मार्थ शाखा/रतनगढ़ शाखा कलेक्टोरेट/रतनगढ समिति सेंवढा, जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।
17- संबंधित श्री .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दतिया (म.प्र.)